

**GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralya)
(RAILWAY BOARD)**

No.2011/TG.I/20/P

New Delhi, dated 29 .02.2012

General Managers,

1. Central Railway, Mumbai.
2. Eastern Railway, Kolkata.
3. East Central Railway, Hajipur.
4. East Coast Railway, Bhubaneswar
5. Northern Railway, New Delhi
6. North Central Railway, Allahabad
7. North Eastern Railway, Gorakhpur.
8. Northeast Frontier Railway, Guwahati.
9. North Western Railway, Jaipur.
10. Southern Railway, Chennai
11. South Central Railway, Secunderabad.
12. South Eastern Railway, Kolkata
13. South East Central Railway, Bilaspur.
14. South Western Railway, Hubli.
15. Western Railway, Mumbai.
16. West Central Railway, Jabalpur.
17. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata – 71.
18. MD, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400614.

(Commercial Circular No. 15 of 2012)

**Sub: Clearance of wait-listed passengers – Amendment to Para 618 of
Indian Railways Commercial Manual Vol-I.**

.....

Ministry of Railways have decided that para 618 of 1992's Third Edition of Indian Railways Commercial Manual Vol. I may be revised as per correction slip No. 24 enclosed.


(Sanjay Manocha)
Deputy Director Traffic Commercial(G)-II
Railway Board

Contd..2/-

Copy to:

- 1) MD, CRIS, Chanakayapuri, New Delhi.
- 2) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C), TC (FM) (with five spare copies) & V(SS) branches of Railway Board.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway/Bhusaval, Eastern Railway Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- 7) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 8) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 9) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- 10) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No.268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, National Federation of Railway Pensioners' Organisation, 825, Supertech Residency, Sector-5, Plot No.6 A, Ghaziabad - 201 010.

Correction slip No. 24 to Indian Railways Commercial Manual Vol.I Para 618 may be revised as under:

Para 618 may be revised as under:-

The following procedure should be adopted for placing of indent for attachment of additional coach in train to clear waiting list:-

618: Clearance of wait-listed passengers – When the demand for reserved accommodation by any train is in excess of the actual availability as per normal train composition, the Assistant Commercial Manager (Reservation) or any other officer nominated by the administration at the Headquarters office should contact his counterpart in the operating branch for augmenting the train composition, if possible. A similar procedure should be followed at the Divisional level where the Divisional Commercial Manager or the Assistant Commercial Manager should watch the waiting list and initiate action for making additional accommodation available in consultation with the officer concerned in the operating branch. It is important that the planning and implementation of attaching extra coaches to trains should be done sufficiently in advance so that the public may have as long a notice as possible of the additional accommodation being made available.

When it is not possible to augment the load of a particular train, alternative arrangements to provide additional accommodation on other suitable trains should be made. For example, if accommodation by Golden Temple Mail train is not available and strengthening of it is also not feasible, accommodation by other trains, such as Paschim Express, should be increased as possible.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2011/टीजी -I/20/पी

नई दिल्ली, दिनांक 29.02.2012

महाप्रबंधक,

1. मध्य रेलवे, मुंबई.
2. पूर्व रेलवे, कोलकाता.
3. पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर.
4. पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
5. उत्तर रेलवे, नई दिल्ली.
6. उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
7. पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
8. पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी.
9. उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
10. दक्षिण रेलवे, चेन्नै
11. दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
12. दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
13. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
14. दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली.
15. पश्चिम रेलवे, मुंबई.
16. पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर.
17. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जेएल नेहरू रोड, कोलकाता-71.
18. प्रबंध निदेशक, कॉकण रेलवे कारपोरेशन लि., बेलापुर भवन, प्लॉट नं. -6,
सेक्टर-11, सी.बी.डी. बेलापुर, नवी मुंबई 4000614.

(2012 का वाणिज्य परिपत्र सं.15)

विषय : प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों को स्थान देना - भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली
जिल्द - I के पैरा 618 का संशोधन.

.....

रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली, जिल्द I, तीसरा संस्करण, 1992 के पैरा 618 को शुद्धि पर्ची सं. 24 के अनुसार संशोधित किया जाए.


(संजय मनोचा)

उप निदेशक, यातायात वाणिज्य (सामान्य)-II
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि :

1. प्रबंध निदेशक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
2. सीसीएम/पीएम तथा सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें.
3. प्रबंध निदेशक, आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली.
4. इंडी वी(टी), इंडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी/टीसी, एफ (सी) एवं सतर्कता (एसएस) रेलवे बोर्ड की शाखाएं.
5. महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण एवं प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
6. प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर.
7. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
8. महासचिव, आल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली.
9. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (एफआरओए), कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन (आईआरपीओएफ), कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली.
12. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन, 825, सुपरटेक रेजिडेंसी, सेक्टर-5, प्लॉट नं.6 ए, गाजियाबाद - 201 010

भारतीय रेल वाणिज्य नियमावली, जिल्द I, पैरा 618 की शुद्धि पृथी सं. 24 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

पैरा 618 को निम्नानुसार संशोधित किया जाए:

प्रतीक्षा सूची क्लीयर करने के लिए गाड़ी में अतिरिक्त डिब्बे लगाने के लिए मांगपत्र प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए:-

618: प्रतीक्षा सूची में दर्ज यात्रियों को स्थान देना - सामान्य गाड़ी संरचना के अनुसार वास्तविक उपलब्ध स्थान से यदि किसी गाड़ी में स्थान के आरक्षण की मांग अधिक है तो सहायक वाणिज्य प्रबंधक (आरक्षण) या प्रधान कार्यालय में प्रशासन द्वारा नामित कोई दूसरा अधिकारी परिचालन शाखा के अपने प्रतिस्थानी अधिकारी से यदि संभव हो तो गाड़ी में अधिक डिब्बे लगाने के लिए सम्पर्क स्थापित करेगा. मंडल स्तर पर यही क्रियाविधि अपनाई जानी चाहिए और वहां मंडल वाणिज्य प्रबंधक या सहायक वाणिज्य प्रबंधक प्रतीक्षा सूची पर निगाह रखेंगे और परिचालन शाखा के अधिकारी के परामर्श से अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेंगे. यह आवश्यक है कि गाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने की योजना और क्रियान्वयन पर्याप्त समय पूर्व तय किया जाना चाहिए ताकि जनता को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में अधिक से अधिक संभव नोटिस मिल सके.

किसी विशेष गाड़ी में यदि अधिक डिब्बे लगाना संभव न हो तो अन्य उपयुक्त गाड़ियों में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने के संबंध में वैकल्पिक प्रबन्ध किए जाने चाहिए. उदाहरणार्थ यदि गोल्डन टैम्पल मेल गाड़ी में स्थान उपलब्ध नहीं है और अतिरिक्त डिब्बे लगाना भी संभव नहीं है तो अन्य गाड़ियों जैसे पश्चिम एक्सप्रेस में जितना संभव हो सके अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जानी चाहिए.

* * * * *